न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 21 / 2021

दायर दिनांक :– 01.02.2021

निर्णय दिनांक :– 22.03.2022

उनवान

01. सन्तोष सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी डॉगीवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 हाल निवासी 26 गोकुल कॉलोनी थेकना रोड बोरखेडा कोटा जिला कोटा राज0

––वादीया

बनाम

01. श्रीमान तहसीलदार महोदय बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर अलवर राज0

––प्रतिवादी असल

वाद घोषणात्मक एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागणः–

01. वादीयाः– श्री छाजू सिंह तॅवर एड.

02. प्रतिवादीगणः– पैरोकार सरकार

निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, 132 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, 133 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 234 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 10 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, 128 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 131 रकबा 0.2000

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

हैक्टेयर, 177 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, 205 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, 212 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 216 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, 223 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, 236 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, 267 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, 208 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, 121 रकबा 0.7600 हैक्टेयर वाके मौजा डांगीवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 के कॉलम खातेदारी मे सैतान सिंह पुत्र मूल सिंह के नाम दर्ज हिस्सा विवादित आराजी है जिसे वाद पत्र मे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी दौराने भू–प्रबन्ध सम्वत 2060 साबिक खसरा नम्बर 7 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 95 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 106 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 113 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 116 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 117 मिन रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 193 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 244 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा मौजा डांगीवास से बनी है। विवादित आराजी वादी की बुजुर्गानी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है विवादित आराजी वादी को अपने बुजुर्गान सीता सिंह व मूल सिंह से विरासत मे प्राप्त हुई है। जो नामान्तकरण संख्या 43 व 44 वाके मौजा डागीवास से साबित है। वादी का सही व वास्तविक नाम सन्तोष सिंह है। वादी के पिता मूला सिंह के दत्तक पिता सीता सिंह का विरासत नामान्तकरण संख्या 43 व वादी के पिता मूल सिंह के विरासत नामान्तकरण संख्या 44 वाके मौजा डांगीवास मे वादी का नाम संतोष सिंह के बजाय शैतान सिंह दर्ज कर स्वीकार कर दिया जबकि वादी के सभी दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि सभी मे वादी का वास्तविक नाम सन्तोष सिंह सही दर्ज है। विवादित आराजी पर वादी अपने बुजुर्गान के समय से काबिज होकर काश्त करता रहा तथा अब कई वर्षो से वादी कोटा मे अपने परिवार सहित मजदूरी करता है तथा विवादित आराजी को अपने भाईयो को बटाई की फसल लेता आ रहा है परन्तु विवादित आराजी मे वादी का नाम सन्तोष सिंह कि बजाय शैतान सिंह दर्ज होने के कारण वादी विवादित आराजी का सम्पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है। वादी किसान क्रेडित कार्ड बनवाने के सिलसिले मे दिनांक 15.01.2021 को हल्का पटवारी से मिला तो वादी को जानकारी हुई कि विवादित आराजी मे वादी का नाम गलत है। तब वादी उपरोक्त विवादित आराजी मे अपना नाम शैतान सिंह के स्थान पर सन्तोष सिंह दुरूस्त करवाने हेतु दिनांक 25.01.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से मिला तो प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादी का नाम दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिए यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। जो वाद अन्दर मियाद पेश है। इस प्रकार वाद में वर्णित आराजी में दर्ज वादी का नाम शैतान सिंह के बजाय सन्तोष सिंह दुरूस्त किये जाने की घोषणा फरमायी जावे तथा मुताबिक घोषणा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

वाद पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने वाद पत्र का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी स्वयं अपने वाद को सिद्ध करे तथा न्यायालय जो भी आदेश प्रदान करें तो हमें कोई एतराज नहीं है जिसकी पालना की जावेगी।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रर्दश 01 लगायत 04 नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 खाता संख्या 145,146,147,245, प्रदर्श 05 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060, प्रदर्श 06 नकल नामान्तकरण सख्या 43, प्रदर्श 07 नकल नामान्तकरण संख्या 44, प्रदर्श 08ए चुनाव पहचान पत्र, प्रदर्श 09ए नकल आधार कार्ड, प्रदर्श 10ए नकल पैन कार्ड, प्रदर्श 11ए नकल राशन कार्ड सन्तोष सिंह पेश किये है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यु 01 सन्तोष सिंह, पी डब्ल्यु 02 नवल सिंह, पी डब्ल्यु 03 किशोर सिंह, पी डब्ल्यु 04 रामजीलाल के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई।

हमने पत्रावली का व वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात तथा शपथ पत्रों का गहनता से अवलोकन एंव अध्ययन किया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में पेश किये दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नामान्तकरण, पैन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड व राशन कार्ड व मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों से यह साबित होता है कि वादी के पिता मूला सिंह के दत्तक पिता सीता सिंह का विरासत नामान्तकरण संख्या 43 व वादी के पिता मूल सिंह के विरासत नामान्तकरण संख्या 44 वाके मौजा डांगीवास का नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम सन्तोष सिंह के बजाय शैतान सिंह दर्ज कर स्वीकार कर दिया जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः समस्त विवेचन के बाद वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद आंशिक स्वीकार कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, 132 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, 133 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 234 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 10 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, 128 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 131 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, 177 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, 205 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, 212 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 216 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, 223 रकबा 0.3900

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

हैक्टेयर, 236 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, 267 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, 208 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, 121 रकबा 0.7600 हैक्टेयर वाके मौजा डांगीवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 में दर्ज खातेदार शैतान सिंह पुत्र मूल सिंह के बजाय सन्तोष सिंह पुत्र मूल सिंह दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रहें। आदेश की पालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर

न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 21 / 2021

दायर दिनांक :– 01.02.2021

निर्णय दिनांक :– 22.03.2022

उनवान

01. सन्तोष सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी डॉगीवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 हाल निवासी 26 गोकुल कॉलोनी थेकना रोड बोरखेडा कोटा जिला कोटा राज0

—–वादीया

बनाम

01. श्रीमान तहसीलदार महोदय बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर अलवर राज0

—–प्रतिवादी असल

वाद घोषणात्मक एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागणः–

01. वादीयाः– श्री छाजू सिंह तॅवर एड.

02. प्रतिवादीगणः– पैरोकार सरकार

पर्चा डिक्री

अतः वादीया का वाद आंशिक स्वीकार कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, 132 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, 133 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 234 रकबा 0.0900 हैक्टेयर,

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

10 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, 128 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 131 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, 177 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, 205 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, 212 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 216 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, 223 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, 236 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, 267 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, 33 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, 208 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, 121 रकबा 0.7600 हैक्टेयर वाके मौजा डांगीवास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 में दर्ज खातेदार शैतान सिंह पुत्र मूल सिंह के बजाय सन्तोष सिंह पुत्र मूल सिंह दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रहें।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर
बानसूर (अलवर)

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)
बानसूर अलवर